कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कानपुर

पत्रांक 3127 /14-1 दिनॉक, कानपुर, 23/2/ 2022

सेवा मे,

मैनेजर टोरेंट गैस, प्रा०लि०
चन्द्र विहार लखनपुर
कानपुर

विषयः– जनपद कानपुर नगर में प्रस्तावित टोरेंट गैस प्राइवेट लि0 द्वारा इटावा–चकेरी मार्ग (एन0एच0–19) के कि0मी0 450.96 से कि0मी0 457.07 तक बिछायी जा रही गैस पाइप लाइन निर्माण में प्रभावित 0.1015 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या पी 238/81–2–2021–800 (194)/2021 दिनांक 31.12.2021 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ की पत्र संख्या 11सी–2016/एफ0पी0/यू0पी0/पाइपलाइन/52661/2020 दिनांक 03.01.2022 (छायाप्रति संलग्न)।

उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में जनपद कानपुर नगर की प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति में दी गयी शर्तो के अनुपालन हेतु बिन्दहुवार निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal) के माध्यम से जमा कर एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित 06–06 प्रतियों सहित रसीद (ऑनलाइन चालान की प्रति) अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय की पत्र संख्या 2790/14–1 दिनांक 20.01.2022 द्वारा आपसे अपेक्षा की गयी थी।

उक्त प्रकरण में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन भवन, अलीगंज, नई दिल्ली की पत्र संख्या 5–3/2011–एफ0सी0 (vol-1) दिनांक 06.01.2022 द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दर संशोधित (रिवाईज) की गयी है। प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–09 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 63,539.00 से स्थान पर संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किया गया है, जिसकी गणना कर गणनाशीट संलग्न है।

अतः संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) 97,215.00 (सत्तानवे हजार दो सौ पन्द्रह मात्र) की धनराधि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑनलाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें साथ ही इस कार्यालय की पत्र संख्या 2790/14–1 दिनांक 20.01.2022 के अनुसार सभी शर्तो के अतिरिक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों (क्र0 संख्या–01 से 19 तक व अन्तिम पैरा–3) के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण पत्र तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी कराये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक– यथोपरि

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

पत्राक /अ समदिनांकित।

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

D/genral/letter/Feb.2022

संशोधित

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि की गणना

सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर के अन्तर्गत प्रस्तावित टोरेंट गैस प्राइवेट लि0 द्वारा इटावा–चकेरी मार्ग (एन0एच0–19) के कि0मी0 450.96 से कि0मी0 457.07 तक जनपद कानपुर में बिछायी जा रही गैस पाइप लाइन निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना निम्न है–

1. प्रभावित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल– 0.1015 हे0
2. प्रभावित संरक्षित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व– 0.3
3. प्रभावित संरक्षित वन भूमि का– Eco Class- Eco-3

उपरोक्त एवं Eco Class वानस्पतिक घनत्व वाले वन भूमि का शुद्ध वर्तमान दर– रू0 9,57,780.00 प्रति हे0

4.प्रभावित आरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य– 0.1015X 957780=रू0 97214.67

या रू0 **97,215.00**

(रू0 सत्तानवे हजार दो सौ पन्द्रह मात्र)

उपरोक्त धनराशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा देय होगी। भविष्य में यदि उक्त दर में बढोत्तरी होगी तो तद्ानुसार धनराशि देय होगी।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग